संलग्नक -1

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

देवरिया उ0प्र0।

विषयः– नायरा एनर्जी लि0 पेट्रोल पम्प ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील व जिला–देवरिया में स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में आख्या।

संदर्भः– भारत सरकार के पत्र सं0–8बी0/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/72 दिनांक 11.08.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियॉ का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी (नायरा एनर्जी लिमिटेड सिगरा वाराणसी) द्वारा बिन्दुवार आख्या संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः–बिन्दुवार आख्या।

प्रार्थी

दिनांक–

नायरा एनर्जी लिमिटेड

सिगरा वाराणसी, उ0प्र0

11/7/17

Sambit Kumar Lenka
Divisional Manager
NAYARA ENERGY LTD.
Sigra, Varanasi

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

देवरिया।

विषय :— **जनपद—देवरिया के अन्तर्गत ग्राम—अहिलवार बुजुर्ग, तहसील व जिला—देवरिया के गाटा सं0—547 सोनौली—बलिया मार्ग एस0एच0—1 कि0मी0 153—154 के मध्य क्षेत्रफल 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग (एप्रोच मार्ग) हेतु अनुमति के सम्बन्ध में जॉच आख्या।**

संदर्भ :— आपके कार्यालय के पत्रांक सं0—3254 / 206 दिनांक 30.04.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के जॉच संयुक्त रूप से दिनांक 01/6/2019 को किया गया, जिसमें अधोहस्ताक्षरी सहित उप प्रभागीय वनाधिकारी देवरिया, क्षेत्रीय वनाधिकारी बरहज, डी0/मैन एवं सम्बन्धित पेट्रोल पम्प के प्रोपराइटर के प्रतिनिधि अमित यादव उपस्थित रहे जिसकी आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार है :—

1. को सूचना याचक विभाग से सम्बन्धित है, आउटलेट का निकास व प्रवेश का मानक प्रयोक्ता एजेन्सी के मानक के अनुसार सहीं है।
2. पार्ट—1 ए—1 (IX) में गैर संरक्षित वन भूमि 0.1225 हे0 है।
3. पार्ट—1 के बी—2 को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें 0.1225 हे0 अंकित किया गया है ।
4. प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में निर्माण कार्य दिखाया जा रहा है, जो पार्ट—2 में वन संरक्षण अधि0 1980 का उल्लंघन बताया गया है जबकि वास्तविक स्थिति मौके के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल के ~~प्लाट~~ में 35X35 मी0 गाटा सं0—547 में ही निर्माण कार्य हुआ है । संरक्षित वन भूमि क्षेत्र प्लाट के सामने संरक्षित वन भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

............2

5. उक्त बिन्दु कार्यालय एवं प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्बन्धित है।

6. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प GEO कोआर्डिनेट एवं सभी KEY बिन्दु की जी0पी0एस0 लोकेशन संलग्न है। (संलग्नक-1)

7. श्रीमान् जिलाधिकारी से FRA प्रमाण पत्र कार्यालय/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त कर संलग्न है।

8. KML फाइल, सी0डी0 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संलग्न कर दिया गया है।

9. प्रस्तावित स्थल का गणना मूलतः 19.36 मी0 था, सड़क चौड़ीकरण के बाद ले–आउट प्लान के इनलेट, आउटलेट की सामने की भूमि 18.86 मी0 प्रदर्शित कर रहा है। जो मौके के अनुसार गलत है। इसकी स्पष्ट जाँच आख्या के अनुसार नपत संलग्नक में अंकित......है। जो साथ में नजरी नक्शा, जी0पी0एस0 पालिगान सहित संलग्न है। (सं०क०2)

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव अपलोड कराया जाना होगा।

11. भूमि उपयोक्ता प्रमाण पत्र सही है, जनपद में वन ~~स्वरूप~~ क्षेत्र रिक्त है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्ता प्रमाण पत्र वृक्षारोपण के दृष्टिकोण से उपयुक्त एवं सही है।

12. प्रस्ताव का Part-IV व V उच्चास्तर से से अपलोड किया जाना होगा।

संयुक्त निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी
व प्रयोक्ता एजेन्सी

For Maa Auto Fuels
Proprietor

1.6.19		1/6/2019
प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि	उप प्रभागीय वनाधिकारी देवरिया	क्षेत्रीय वनाधिकारी बरहज–देवरिया